

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 1978/चैत्र 2, 1900

No. 148] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 1978/CHAITRA 2, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

कापीराइट कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1978

क्र. आ. 201(अ).—कापीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में निदेशक श्री जी. एस. एड्विन को श्री च. रामाकृष्ण राव के स्थान पर कापीराइट बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है। श्री जी. एस. एड्विन कापीराइट बोर्ड की शेष कार्यविधि तक जो 23 सितम्बर, 1980 को समाप्त हो रही है अथवा उस तारीख तक जब तक वह इस मंत्रालय में अपने वर्तमान पद पर कार्य करते हैं, जो भी तारीख पहले हो सदस्य के पद का कार्य करते रहेंगे।

[सं. एक. 4-11/76 सी. ओ.]

पा. कृ. उमाशंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

Copy Right Office

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 1978

S.O. 201(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), the Central Government hereby appoints Shri G. S. Edwin, Director in the Ministry of Education & Social Welfare (Department of Education), as member of the Copyright Board vice Shri Ch. Ramakrishna Rao. Shri G. S. Edwin shall hold office for the remaining term of the Copyright Board which is to expire on 23rd September, 1980 or till the date he holds his present office in the Ministry of Education & Social Welfare, whichever date is earlier.

[No. F. 4-11/76-C.O.]

P. K. UMASHANKER, Jt. Secy.